झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–31 / 2020

बिनय कुमार पासवान उर्फ विनय कुमार पासवान .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री माधव प्रसाद, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए0पी0पी0।

आदेश संख्या 04 दिनांक 28वीं जनवरी, 2020

याचिकाकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता आदित्यपुर थाना काण्ड संख्या 345 / 2018 (जी0आर0 संख्या 94 / 2019) से उद्भूत सत्र विचारण वाद संख्या 81 / 2019 जो विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार के समक्ष लम्बित है, के संबंध में एक अभियुक्त हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता सूचक को हमेशा छेड़ा करता था और उसके साथ बलात्कार किया। दिनांक 19.11.2018 को उसके गला पर ब्लेड से हमला किया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण प्रगति पर है और एक साक्षी का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है।

याचिकाकर्त्ता के विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत देने का इच्छुक नहीं हूँ। याचिकाकर्त्ता के जमानत आवेदन को अस्वीकार किया जाता है और विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि त्वरित विचारण करें और उसे इस आदेश की प्रति प्राप्त करने से प्राथमिकता के रूप में 9 महीने में समाप्त करें।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)